तृतीय लिंग के परिदृश्य में समावेशी शिक्षा

वैशाली चोपड़ा,

शोधार्थी, हिंदी विभाग, बीर तिकेन्द्रजीत विश्वविद्यालय, मणिपुर

शोध सारांश

भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है भले ही वह किसी भी समुदाय या लिंग का क्यों न हो। भारतीय राज्य नीति जिसने पहले केवल दो लिंगों को मौलिक अधिकारों की मान्यता दी थी, यानी केवल पुरुष और महिला। परंतु भारतीय नागरिक होने के बावजूद तीसरे लिंग को उनके कई अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में समाज के इस समुदाय को उनके साथ हो रहे भेदभाव को मिटाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता तो दे दी। माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के अर्थ की व्याख्या में कहा है कि अनुच्छेद 'किसी भी व्यक्ति' को संविधान के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और यहाँ ''व्यक्ति'' में 'तीसरे समुदाय' से जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं। 'समावेशी' शिक्षा का प्रयोजन तभी सम्पूर्ण होगा जब मात्र बौद्धिक या शारीरिक विकलांग छात्रों के समावेशन के साथ–साथ LGBTQI *समुदाय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार प्राप्त होंगे।*

बीज शब्द : *मौलिक अधिकार, तीसरे लिंग, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, समावेशन, भेद–भाव*

मूल आलेख

हाल ही में घटे एक वाकये ने मुझे यह गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के समय में जहाँ लगभग प्रत्येक शिक्षण संस्थान 'समावेशी शिक्षा' को अपनाने की बात कर रहा है, क्या सचमुच हम उसे उसके सही मायनो में अपना पाए हैं।

यह बात उस दिन की है जब दसवीं कक्षा के एक छात्र ने कक्षा परिचर्चा के दौरान उन लोगों को समाज से बहिष्कृत करने की बात उठाई जो न तो 'पुरुष' कहलाने की श्रेणी में आते हैं और न ही 'स्त्री'। स्थिति तब भी इतनी गंभीर न होती यदि यह सोच मात्र एक छात्र की होती, परंतु धक्का तो मुझे तब लगा जब उस छात्र की इस आपत्ति पर कक्षा के कुछ अन्य छात्रों ने सहमति जताई। इसके साथ–साथ मेरा दिल तब यह देख कर और बैठ गया जब कक्षा के अन्य छात्र जिन्होंने भले ही सहमति नहीं जताई परंतु उस सोच का विरोध भी नहीं किया। किसी गलत बात पर अपना विरोध प्रकट न करना उस बात पर सहमति जताने से भी बदतर है क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि वह वर्ग उस बात के सही या गलत पहलू का न तो विश्लेषण कर रहा है, साथ ही परोक्ष रूप से उस बात का समर्थन भी कर रहा है। एक शिक्षाविद् होने के नाते मैंने विभिन्न तथ्यों तथा तर्कों द्वारा उन छात्रों के दृष्टिकोण को सही दिशा देने का अपना दायित्व तो निभाया परंतु मेरे लिए चिंता का विषय यह था कि यह द्विआधारी लैंगिक सोच मात्र उन छात्रों की नहीं, अपितु समाज के एक बड़े हिस्से की सोच है।

हमारे समाज में जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया मात्र स्त्री–पुरुष व्यवहार को ही स्वीकृति देती है। इस दृष्टिकोण से किन्नर समाज का व्यवहार स्वभाविक रूप से अमान्य मान लिया जाता है। शिक्षण संस्थानों में जेंडर निर्मिती में उनके यौन व्यवहार की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं होता अपितु उनके यौन व्यवहार को कानूनी अपराध मान लिया जाता है जो कि समाज में इस परंपरागत नफ़रत को बढ़ावा देता है। यमदीप की नंदरानी जब अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान आए शारीरिक बदलाव को महसूस करने लगती है तो उसे कहा जाता है– ''क्या नन्द रानी, तुम कैसे चलती हो, हम लोगों की तरह चलो, कहीं हिजड़े देख लेंगे तो तुम्हें भी वही समझ बैठेंगे।''[1] यहाँ सवाल हमारी उस सामाजिक सोच पर है जिसे स्वतः ही अपमानजनक मान लिया गया है। यदि समावेशन को उसके पूर्ण रूप में अपनाना है तो स्त्री–पुरुष व्यवहार की भाँति नन्द रानी के व्यवहार को भी अपनाना होगा।

शिक्षा संस्थान वह प्रबल स्रोत है जिसके माध्यम से समूची पीढ़ी की सोच को एक अपेक्षित व आदर्श दिशा दी जा सकती है। यदि शिक्षा संस्थान सही मायनों में 'सामवेशन प्रणाली' को अपनाकर चलते हैं तो हमें समाज की सोच को बदलने के लिए किसी तर्क का सहारा नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि कथनी से करनी सदैव अधिक प्रभावशाली होती है। किसी देश के विकास की नींव कितनी मजबूत है, यह उस देश की शिक्षा प्रणाली निर्धारित करती है। यदि शिक्षा प्रणाली समावेशी पद्धति पर आधारित है तो समाज का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होता है और अपने व्यक्तिगत विकास के साथ–साथ देश के समूचे विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।[2]

आगे बढ़ने से पहले 'सामवेशन' शब्द का विश्लेषण कर लेना उचित होगा। विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार 'समावेशन' शब्द की परिभाषा 'शामिल करने की प्रक्रिया', 'सम्मिलित होने का भाव', 'संपन्नता', 'पूर्णावस्था', 'निहितता', 'सह–अस्तित्व', 'एक साथ प्रवेश करना' आदि है।[3] यदि इन सभी परिभाषाओं का सार निकाला जाए तो 'समावेशन' की परिभाषा कुछ यूँ बनाई जा सकती है:– **''सह–अस्तित्व के सम्पूर्ण भाव से प्रत्येक विभिन्नता के सर्वांगीण विकास व अधिकारों को निहित करते हुए एक साथ अग्रसर होना।''**

इस परिभाषा के यदि मायने समझे जाएँ तो वे कुछ इस प्रकार होंगे :

1) सभी विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए सबके समान अस्तित्व को स्वीकारना ही 'समावेशन' है।

2) शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक, आर्थिक तथा योग्यता आधारित आदि सभी विभिन्नताओं को निर्विवाद स्वीकृति देना ही 'समावेशन' है।

3) विकास के पथ पर सबको एक साथ लेकर चलना तथा सबका समान रूप से उत्थान करना ही 'समावेशन' है।

4) समाज की छोटी से छोटी इकाई को समाज के बड़े हिस्से का अभिन्न भाग बनाना 'समावेशन' है।

भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है भले ही वह किसी भी समुदाय या लिंग का क्यों न हो।[4] हमारी शिक्षा पद्धति में मानसिक व शारीरिक रूप से विशिष्ट आवश्यकताओं के बच्चों के समावेशन का प्रावधान तो है परंतु दुर्भाग्यवश 'द्विलिंगी मॉडल' का अनुसरण करते हुए 'किन्नर समुदाय' के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में समाज के इस तृतीय समुदाय को भी उनके अधिकार सौंपते हुए 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता तो दे दी है परंतु धरातलीय सच्चाई कागजी तथ्यों से मेल नहीं

खाती। इससे यह साबित होता है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा, तब तक कोई भी कानून व सरकार उन्हें मुख्य धारा में नहीं ला सकेगा।

अस्पष्ट लैंगिक पहचान वाला यह वर्ग शिक्षा दर्शन, शिक्षा विमर्श से एक सिरे से गायब है तथा विभिन्न समाजों में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा के अनुपात में शोषण का शिकार बन रहा है। शिक्षा के अभाव में आज हमारे समाज का 'हिजड़ा' कहा जाने वाला हिस्सा अपनी आजीविका के लिए ऐसे साधनों पर निर्भर हो कर रह गया है जो न तो इन्हें समाज में एक सम्माननीय स्थान दिला पाता है और न ही एक बेहतर जीवन दे पाता है। अपने परिवार से भी अलग होने का भाव इन्हें संवेदनात्मक रूप से भीतर ही भीतर तोड़ देता है। परिणामस्वरूप कुंठा, आक्रोश, आत्म–ग्लानि जैसी भावनाएँ इनके जीवन की सच्चाई बनकर इस प्रकार सामने आती है –

''लज्जा का विषय क्यों हूँ अम्मा मेरी?
अंधा, बहरा या मनोरोगी तो नहीं था मैं
सारे स्वीकार हैं परिवार समाज में सहज
मैं ही बस ममतामय गोद से बिछड़ा हूँ
क्योंकि मैं हिजड़ा हूँ .....''[5]

हमारी शिक्षा प्रणाली पर ऐसा ही सवाल यमदीप का महताब गुरु उठाता है जब नंदरानी की माता उसे पढ़–लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है– ''माता जी किसी स्कूल में आज तक हिजड़े को पढ़ते–लिखते देखा है। किसी कुर्सी पर हिजड़ा बैठा है। पुलिस में, मास्टरी में, कलेक्टरी में–किसी में भी। अरे! इसकी दुनिया यही है, माता जी– कोई आगे नहीं आयेगा कि हिजड़ों को पढ़ाओ, लिखाओ, नौकरी दो– जैसे कुछ जातियों के लिए सरकार कर रही है।"[6]

यदि हर बच्चे में आत्म–गरिमा, सुरक्षा एवं समाज का स्वीकृत हिस्सा होने का अहसास जगाना है तो 'समावेशन प्रणाली' को वास्तविक स्तर पर अपनाना होगा।

समावेशन के बहुआयामी प्रभाव :– ''समावेशन मात्र सहिष्णुता नहीं अपितु निर्विवाद स्वीकृति है।'' अर्थात समाज के प्रत्येक हिस्से को समान अधिकार मिलना किसी प्रकार की दया का या सहनुभूतिजनक प्रयास नहीं अपितु अकाट्य कर्तव्य है जो हम सबकी समान जिम्मेदारी है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं अपितु विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। इस सन्दर्भ में विभिन विद्वानों के मत इस प्रकार हैं – **यरशेल के अनुसार :–** ''समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।''[7]

स्टीफन और ब्लैकहर्ट :– ''शिक्षा की मुख्यधारा का अर्थ बाधित (पूर्णरूप से अपंग नहीं) बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षा की व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है।"[8]

शिक्षाशास्त्री :– ''समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है।" दूसरे शब्दों में, समावेशी शिक्षा अपवर्जन के विरुद्ध एक पहल है।

शिक्षाशास्त्री :– ''समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं, बल्कि विशिष्ट अधिगम के नये आयाम खोलती है।" दूसरे शब्दों में, समावेशी शिक्षा एक साथी प्रक्रिया नहीं है, अपितु मनुष्यों के विकास

के लिए मनुष्यों द्वारा किए गए कुंठामुक्त प्रयास हैं।

इसके अभियोजन से निम्न लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं :

1) **सामाजिक उत्थान :** जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति आत्म–सक्षम होगा तो गरीबी तथा अपवर्जन के चक्र को भेदना आसान हो जाता है। एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति समाज के लिए कारगर संसाधन के समान होता है न कि एक बोझ के समान। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आत्म–निर्भर बनाने के लिए समावेशी शिक्षा पद्धति को अपनाना अनिवार्य है।

2) **सांप्रदायिकता :** समावेशी शिक्षा समाज में व्याप्त किसी भी भेद–भाव को दूर करने में सहायक होती है। सुशिक्षित व्यक्ति अपने अस्तित्व को न्यायोचित ठहरा पाता है और समान अधिकार मिलने पर एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है।

3) **संबंधों की प्रगाढ़ता :** समावेशी शिक्षा व्यक्ति को समाज में स्वीकृति दिलाती है जिससे परिवारजन भी समाज के डर से अपनी संतान को त्यागने की अपेक्षा उसे उसी रूप में स्वीकारते हैं। परिणामस्वरूप लैंगिक अभिविन्यास की विशिष्टता लिए किसी भी व्यक्ति को एक ओर सामाजिक तिरस्कार झेलते हुए, त्याज्य या हिकारत जैसे भावों का शिकार नहीं बनना पड़ता दूसरी ओर परिवार के सभी सदस्यों के स्नेह से एक संपूर्णता का एहसास भी दिलाता है।

4) **आत्म–सम्मान :** समावेशी शिक्षा व्यक्ति को आत्म–निर्भर बनाती है जिससे उसे सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होता है। सुशिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संवार सकता है साथ ही वह समाज के उद्धार में भी अपना योगदान देकर स्वयं को आत्म–समर्थ पाकर अपना आत्म–सम्मान जगा सकता है।

5) **सह–अस्तित्व :** समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करती है जिससे एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, सहिष्णुता व सामंजस्यता की भावना बढ़ती है।

जब तक हमारे समाज के अन्य वर्गों की भांति किन्नर समुदाय को भी समान शिक्षा, रोजगार, व स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों से निकालकर 'किन्नर समाज' के प्रति स्वीकार्यता का रवैया नहीं अपनाएगा तब तक 'समावेशी शिक्षा' का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। शिक्षा और संवेदनशीलता इन दो औजारों से किन्नर समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी जिसमें मीडिया एक सशक्त भूमिका निभा सकता है। इस दिशा में सभी को मिल कर प्रयास करने की आवश्यकता है चाहे वह समाज हो, सरकार हो या अन्य अनेक संस्थान। ये सभी इस दिशा में एकजुट हो कर कार्य करें तभी इस क्षेत्र में सफलता मिलने की गारंटी मिल सकती है। ये प्रयास भी तभी सफल हो सकते है जब साफ नियत से किए जाए। किन्नर समाज के बच्चों को भी सामान्य बच्चों के समान वातावरण प्रदान करना समाज की ज़िम्मेदारी है ताकि किन्नर समाज की भी आर्थिक, सामाजिक व मानसिक दृष्टि से उत्थान संभव हो सके।

संदर्भ

1) नीरजा माधव, यमदीप, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002

2) saathsaath...संविधान की नजर में इंसान है किन्नर.

3) https://www.vocabulary.com/dictionary/inclusion

https://www.hindwi.org/hindi-dictionary/meaning-of-samaaveshan

https://www.wisdomlib.org/definition/samavesha

4) सांविधानिक अधिनियम 2002 (86वाँ संशोधन) की अधिसूचना व बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009

5) https://bhadas.blogspot.com/2008/03/blog-post_6367.html#google_vignette

6) नीरजा माधव, यमदीप, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002

7) Banga, C.L. (2015). Inclusive Education in the Indian Context, International Multidisciplinary e-Journal

8) Dash, N. (2006): Inclusive Education Why Does it Matter? Edutracks